मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड–3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
पिनकोड– 462011 (का.) 0755 – 2551659, फैक्स 0755 – 2556065
ईमेल : mphousing@email.com

।। आदेश ।। 158 10/06/2019

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में सीधी भर्ती के अन्तर्गत **उपयंत्री (सिविल)** के रिक्त पदो हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम दिनांक 11/01/2019 में चयनित उम्मीदवारों में से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नानुसार अभ्यर्थियों को **उपयंत्री (सिविल)** के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतन लेबल 8 में दर्शित न्यूनतम वेतन 32800–103600 तथा अन्य भत्ते जो मण्डल में देय है पर उनके द्वारा कार्य ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शित स्थान में पदस्थ कर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र	नाम	पिता का नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री सौरभ गुप्ता	श्री अनिल कुमार गुप्ता	अनारक्षित	संभाग 6 भोपाल
2	श्री दर्शन सिंह धुर्वे	श्री राममिलन सिंह	अनु.ज.जाति	संभाग कटनी
3	श्री राजेन्द्र भास्करे	श्री मन्शाराम भास्करे	अनु.ज.जाति	संभाग उज्जैन

नियुक्ति की अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. यह नियुक्ति स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन,की प्रत्याशा में की जाती है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस चरित्र सत्यापन सन्तोषप्रद न होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
2. नियुक्त किये गये कर्मचारियों से कार्यग्रहण कराते समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति संबंधी मूल प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर नस्ती में रखा जावें, एवं उनकी कार्य ग्रहण दिनांक की सूचना मुख्यालय को भेजी जाये। इनकी सेवापुस्तिका संबंधित कार्यालय में ही तैयार की जावेगी।
3. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात उम्मीदवार द्वारा शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकता है। इसके लिये उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई है तथा बिना किसी कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन एवं भत्तो का भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ता जमा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकता है।
5. इस नियुक्ति में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रयोजनार्थ गृह निर्माण आयुक्त सक्षम प्राधिकारी माने जावेंगे।
6. इनकी नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सेवायें नियमिति करने के लिये उनके द्वारा दो वर्ष में की गई सेवा एवं कार्य कुशलता संबंधी विशेष रिपोर्ट पर निर्भर होगी।
7. नियुक्त कर्मचारी को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
8. नियुक्त के समय स्वयं के पति/पत्नी के/नावालिग बच्चों के नाम से स्थाई संपत्ति हो उसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में देना आवश्यक है।
9. नवनियुक्त कर्मचारी यदि पूर्व में शासकीय, अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र मण्डल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
10. नियुक्त कर्मचारी की पदस्थापना म.प्र. के किसी भी कार्यालय में की जा सकेगी।